पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में गांधी वाटिका के निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार : मदन दिलावर

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गांधी के मूल्यों, सिद्धांतों एवं संघर्ष को प्रदर्शित करने वाले गांधी दर्शन म्यूजियम (गांधी वाटिका) का संचालन 2 अक्टूबर से किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को सेंट्रल पार्क स्थित गांधी वाटिका का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने म्यूजियम में साफ-सफाई और दीवारों पर अंकित भिति चित्रों का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिलावर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का गांधी और उनके सिद्धांतों से दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं है। इस पार्टी ने केवल गांधी नाम का इस्तेमाल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया है। उन्होंने कहा कि गांधी के बताए सत्य, अहिंसा और सच्चाई के रास्ते पर चलने की बजाए कांग्रेस के लोग केवल उनके नाम का ढिंढोरा पीट रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे लोग गांधी उपनाम का इस्तेमाल कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े परिवार ने गांधी

- **'रामराज्य और राजस्थान की गौरवशाली परंपरा को दिया जाएगा म्यूजियम में स्थान'**

सरनेम जोड़कर राजनीतिक लाभ लिया, जो कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों का सबसे बड़ा हत्यारा है। दिलावर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गांधी वाटिका के निर्माण में भी भ्रष्टाचार हुआ और घटिया दर्जे का कोटा स्टोन लगाया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधीवादी होने का और गांधी परिवार के निष्ठावान होने का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। दिलावर ने कहा कि गांधी के मुताबिक सच्चे लोकतंत्र की अवधारणा रामराज्य में ही निहित है। मगर कांग्रेस सरकार ने रामराज्य की अवधारणा से संबंधित किसी भी प्रकार के विचारों और उनसे संबंधित चित्रों को गांधी वाटिका में जगह नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रामराज्य के साथ ही राजस्थान की गौरवशाली परंपरा और सुनहरे इतिहास के साथ ही महाराणा प्रताप, मीरा बाई तथा पन्नाधाय जैसी महान विभूतियों के जीवन चरित्र से संबंधित प्रतीकों और चित्रों को गांधी वाटिका में शामिल करेगी।मदन दिलावर ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा गांधी दर्शन म्यूजियम (गांधी वाटिका) का बेहतर संचालन किया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गांधी जी के जीवन की पूरी और सही जानकारी आमजन को मिल सके और लोग उसे अपने जीवन में आत्मसात कर गांधी जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल सकें।

समझौते हमारे जीने की राह आसान बना देंगे : न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह

राष्ट्रीय वीजीयू आर. के. रस्तोगी मेमोरियल नेशनल नेगोशिएशन प्रतियोगिता में सोलिसीटर जनरल आर.डी.रस्तोगी ने अतिथियों का स्वागत किया

जयपुर। विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जगतपुरा में द्वितीय राष्ट्रीय वीजीयू आर. के. रस्तोगी मेमोरियल नेशनल नेगोशिएशन प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह थे। जबकि विशिष्ट अतिथि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवनीश झिंगन एवं उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी विशेष अतिथि के रूप में शामिल थे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि देश की विधि व्यवस्था का भविष्य युवा पीढी के हाथों में सुरक्षित है। उन्होने कहा कि आज पारिवारिक विवाद के मामले बढ रहे हैं जिसमें घरेलू हिंसा के मामले ज्यादा हैं इससे तलाक के मामले भी बढ़ रहे हैं। उन्होने कहा कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध रोकने के दोनों पक्षों में मध्यस्था की भूमिका निभाई। कौरव सेना नहीं मानी, इसका नतीजा विनाशकारी हुआ। न्यायमूर्ति मसीह ने कहा कि हर व्यक्ति निगोशिएटर बने और निगोशिएशन करना भी सीखें। इससे हमें कई समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में प्रोफेशन के अलावा निजी जीवन में विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसे में अगर हमने समझौते और समझाईश की राह अपना ली तो इनसे आसानी छुटकारा पा सकते है जो हमारे जीने की राह आसान बना देगा।

उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने कहा कि हम सभी में उदारता होनी चाहिए। समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं जो लोग समाज का भला करते हैं वे वास्तव मे इसमें अपना प्रचार नहीं करते हैं। चैरिटी

विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जगतपुरा में राष्ट्रीय वीजीयू आर. के. रस्तोगी मेमोरियल नेशनल नेगोशिएशन प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने संबोधित किया।

- **हमें महान लोगों के जीवन से सीखते रहना चाहिये : चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव**
- **हम सभी में उदारता होनी चाहिए : न्यायाधीश अजय रस्तोगी**

कम हो या ज्यादा मैटर नहीं रखता बल्कि महत्व है यह आप किसके लिए कर रहे हो कब तक कर रहे हो। अपनी क्षमता के अनुसार कितनी मानवीयता है।

कर्यक्रम अध्यक्षता करते हुए राज उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि मुझे इस इवेंट का हिस्सा बनकर गर्व हो रहा है। नेगोशिएसन स्पर्धा आज महत्वपूर्ण इवेंट है। जब में लॉ का विद्यार्थी था मैंने आत्मकथा पढनी शुरू की और प्रेरणा मिली। हमें महान लोगों की जीवन से हम हमेशा सीखते रहना चाहिए। यहां बोलना और सवांद करना मुझे नया अनभव देता है। उन्होने कहा कि कठिन परिश्रम सफलता की जननी है। सफलता का कोई शार्ट कट नहीं है।

भारत के अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल आर. डी. रस्तोगी ने दो दिवसीय इवेंट में आयोजित स्पर्धाओं के बारे में विस्तार से बताया। प्रतियोगिता में पहले दिन भावी जजों और अधिवक्ताओं ने अपनी वाकपटुता और प्रभावी संवाद शैली में परिवाद प्रस्तुत किए और पर प्रभावी तरीके से अपने अपने पक्ष रखे।

शॉपर्स स्टॉप पर छह हजार का हर्जाना

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम ने उपभोक्ता से विज्ञापन वाले कैरी बैग के रुपए वसूलने पर शॉपर्स स्टॉप पर छह हजार पांच सौ रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने कैरी बैग के लिए वसूली गई 9 रुपए की राशि ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग अध्यक्ष सूबे सिंह यादव और सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश जसवंत शर्मा के परिवाद पर दिए।

परिवाद में अधिवक्ता राजकुमार टोंगावत ने कहा कि परिवादी 16 जून, 2019 को कपड़े खरीदने शॉपर्स स्टॉप गया था। जहां उसने कपडे खरीदकर 5111 रुपए का बिल चुकाया। इस दौरान उसे पता चला कि दुकानदार ने बिल में कैरी बैग के 9 रुपए जोडे हैं। जबकि उस बैग पर शॉपर्स स्टॉप का विज्ञापन था। इस पर परिवादी ने बैग नहीं लेने का हवाला देते हुए 9 रुपए वापस मांगे, लेकिन दुकानदार ने रुपए देने से इनकार कर दिया। परिवाद में कहा गया कि परिवादी से कैरी बैग की राशि वसूल करना सेवा दोष की श्रेणी में आता है। ऐसे में उसे मानसिक संताप के तौर पर क्षितपूर्ति राशि दिलाई जाए।

इसके जवाब में विक्रेता की ओर से अधिवक्ता आलोक जैन ने कहा कि खरीदारी के दौरान परिवादी ने कैरी बैग मांगा था और उसके कर्मचारी ने बता दिया था कि कंपनी की पॉलिसी के तहत बैग फ्री नहीं दिया जाता है। इसकी जानकारी होने पर परिवादी स्वेच्छा से कैरी बैग की राशि देकर बैग लिया था। ऐसे में विक्रेता की ओर से किसी तरह का सेवा दोष नहीं किया गया है। इसलिए परिवाद को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आयोग ने माना कि कैरी बैग के लिए उपभोक्ता से वसूली करना गलत है। इसके साथ ही अदालत ने दुकानदार पर हर्जाना लगाया है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को जयपुर नगर निगम हेरिटेज की नवनियुक्त महापौर कुसुम यादव को नवीन दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर भी मौजूद थी।

रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से कृषि भूमि प्रदूषित व बंजर हो रही है : स्वामी रामदेव

पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रांगण में मृदा परीक्षण मशीन 'धरती का डॉक्टर' को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रमाणन-पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मौजूद थे।

हरिद्वार। पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रांगण में मृदा परीक्षण मशीन 'धरती का डॉक्टर' को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के द्वारा प्रमाणन-पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष स्वामी रामदेव ने बताया कि धरती का डॉक्टर एक अत्याधुनिक मृदा परीक्षण मशीन है जिससे मृदा की सटीक जाँच परीणाम कम लागत एवं कम समय में प्राप्त किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से हमारी अन्न व औषधि प्रदाता कृषि भूमि प्रदूषित व बंजर हो रही है जिसको समय पर मशीन के द्वारा जाँच कर सुधारा जा सकता है। हम किसानों की आय को दोगुना करने हेतु संकल्पित हैं जिसमें यह मृदा परीक्षण मशीन अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।

भरूआ एग्री साइंस के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि धरती का डॉक्टर मृदा परीक्षण मशीन के द्वारा मृदा स्वास्थ्य के 12 आवश्यक मानकों का परीक्षण किया जाता है जिसमें मुख्य पोषक तत्व उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश एवं गौण पोषक तत्व बोरॉन, आयरन, जिंक, कॉपर एवं मैंगनीज सम्मिलित हैं। इस मशीन को भारत सरकार द्वारा पेटेंट तथा -सर्टिफिकेट प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इस मशीन को पतंजलि के वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों के व्यापक शोध के बाद विकसित किया गया है जो किसानों के लिए वरदान है जो सर्वोत्तम संभव समाधान प्रदान करती है। आचार्य जी ने बताया कि यह मशीन उपयोग में बहुत ही सरल है। इसके द्वारा फसलानुसार उर्वक संस्तुतियाँ रासायनिक, जैविक एवं मिश्रित तीनों प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं।

केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. राजेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि धरती का डॉक्टर देश के किसानों तथा भारत सरकार की मृदा स्वास्थ्य योजना के लिए बड़ी उपयोगी मशीन साबित होगी। उन्होंने कहा कि हमारा स्वास्थ्य धरती के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। मृदा स्वास्थ्य के लिए 12 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। हमारी टीम ने इस मशीन पर गहन परीक्षण किया जिसमें पाया गया कि यह देश की ऐसी पहली मशीन है जिसके द्वारा सभी 12 पैरामीटर्स की सटीक जाँच की जा सकती है।

इस अवसर पर इस अवसर पर केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अरविन्द कुमार राय एवं पतंजलि संस्थान की ओर से डॉ. अशोक कुमार मेहता, भरूआ एग्री साइंस के निदेशक डॉ. ऋषि कुमार के साथ प्रमुख वैज्ञानिक विक्रांत वर्मा, हेमंत त्यागी एवं डॉ. आशुतोष गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

सेवा समाप्ति का आदेश रद्द

जयपुर। हाईकोर्ट ने मुख्य सतर्कता अधिकारी की सलाह पर एसबीआई बैंक के अधिकारी की सेवा समाप्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने मामले में अपीलीय अधिकारी के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक अधिकारी की ओर से तय की गई सजा के तौर पर एक साल के लिए उसका वेतनमान कम किया जाए।

देवनानी ने संवेदना जताई

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के जयपुर स्थित निवास पर पहुंचकर उनकी पुत्री के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया। देवनानी ने धारीवाल को सांत्वना दिलाई।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

डिप्टी सी.एम. बैरवा के खिलाफ परिवाद

जयपुर। सरकारी लेटर पैड पर थाने में सीएलजी सदस्य नियुक्त करने की सूची जारी करने को लेकर शहर की निचली अदालत महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ परिवाद पेश किया गया है। जिस पर अदालत आगामी 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। बलराम जाखड़ की ओर से पेश इस परिवाद में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को आरोपी बनाते हुए उन पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं।

परिवाद में कहा गया कि राजस्थान पुलिस नियम के नियम 55 में प्रावधान है कि सीएलजी सदस्यों की नियुक्ति पुलिस अधीक्षक की ओर से की जाएगी। वहीं नियम 12 के तहत ऐसे किसी व्यक्ति को सीएलजी सदस्य के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो कि राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो। परिवाद में कहा गया कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने गत 21 जून को अपने राजकीय कार्यालय से फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने लेटर पैड पर मौजमाबाद थानाधिकारी को जारी किया और 15 सीएलजी सदस्यों को मनोनीत कर दिया। जबकि नियमानुसार यह शक्ति सिर्फ पुलिस अधीक्षक को प्राप्त है। इसके अलावा इस मनोनयन में नियम 12 के प्रावधानों की पालना भी जरूरी है। गौरतलब है कि बीते दिनों डिप्टी सीएम बैरवा का एक लेटर पैड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें मौजमाबाद थानाधिकारी को संबोधित करते हुए पन्द्रह लोगों को थाने में सीएलसी सदस्य के तौर पर मनोनीत करने के लिए लिखा गया था।

खोया पाया

मेरा मुख्य सोडाला जयपुर नगर निगम का प्लाट नंबर 66 का ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर एवं पजेशन लेटर सोडाला से चित्रकूट जयपुर के आसपास कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें- सूरज नारायण शर्मा, 9414310767

आम सूचना दि. 26.09.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे प्लॉट सं. 21 व 21ए कुल क्षेत्रफल 12541 वर्गमीटर वाके जयपुर नगर, चौकडी, हवाली शहर, दिल्ली बाईपास रोड, मानबाग कॉलोनी में स्थित पश्चिममुखी प्लॉट मे से प्लॉट सं. 21 का एक मुख्तारनामा आम दिनांकित 29.11.2005, जो मोहम्मद इस्माईल पुत्र नवाब खां निवासी एच. आर. कॉलोनी, चार दरवाज़ा, जयपुर ने अमीनूद्दीन अहमद पुत्र अजीजुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला हिरवालान, चौकडी तोपखाना हजूरी जयपुर के हक में निष्पादित कराकर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करा दिया था। उपरोक्त असल मुख्तारनामा दिनांक 25.09. 2024 को शाम को 8 बजे करीब घण्टाघर से बडेकुए के बीच में गिर गया, जो काफी तलाश के बावजूद भी नही मिल रहा है। किसी व्यक्ति को यदि उक्त दस्तावेज मिलता है तो वह हमे लौटा देवे एवं उसका दुरूपयोग नही करे। इसके सम्बन्ध मे हमने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है।

कृपया सूचित रहे।

खलील अहमद पुत्र मोहम्मद शमीम, मोहम्मद अकील पुत्र मोहम्मद जलील निवासीयान मोहल्ला काली पलटन, टोंक (राज.) मो.नं. 9414200216

जरिये अधिवक्ता - विजेन्द्र गोयल एडवोकेट

नाम संशोधन

मैं महेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री धर्मसिंह मीना आयु 82 साल जाति मीना निवासी कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरी पुत्री सुरूचि मीना का विद्यालय रिकार्ड में गलती से मेरी पुत्री का जन्म दिनांक 10.07.2013 एवं मेरी पुत्री के पिता का नाम गलती से महेन्द्र सिंह मीना दर्ज करवा दिया था जो गलत है। जबकि मेरी पुत्री का सही नाम व जन्म दिनांक 13.09.2011 हैं एवं मेरी पुत्री के पिता का सही नाम महेन्द्र कुमार मीना है जो सही है।

ह. शपथग्रहिता

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 274/2024

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री लक्ष्मण सिंह निवासी लापोड़िया गढ़, लापारिया गागरडू जयपुर दूदू, मौजमावाद राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास ग्राम विकास नवयुवक मण्डल लापाडिया कार्यालय पता-ग्राम लापोडिया लापारिया गागरडू, जयपुर दूदू, जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 18/9/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइन्दा तारीख पेशी 26/11/24

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैं आर्मी नं. JC-471903P सुबेदार सुमेर सिंह राठौड की युनिट-17 Raj Rif (SM) है। मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम JAI Singh Rathore है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का सिविल दस्तावेजों में सही नाम JAY Singh Rathore है।

मैं आर्मी नं. JC-471903P सुबेदार सुमेर सिंह राठौड़ की यूनिट 17 Raj Rif (SM) है। मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम YOVRAJ SINGH है जो की गलत है। मेरे पुत्र का सिविल दस्तावेजों में सही नाम YUVRAJ SINGH RATHORE है।

मैं आर्मी नं. 16021395H L/HAV Deep singh Shekhawat of unit 17 RaJ RIF (SM) है मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरी पत्नी का नाम Chanda Kanwer Rathore है जो की गलत है। मेरी पत्नी का सिविल दस्तावेजों में सही नाम Chanda Kanwar Rathore है।

हमने अपनी पुत्री का नाम हर्षिका कचोलिया से बदलकर आध्या कचोलिया रख लिया है। भविष्य में हमारी पुत्री आध्या कचोलिया के नाम से जानी व पहचानी जायेगी। आशिष कचोलिया (पिता) व दीप्ति कचोलिया (माता), 17, पंचवटी कॉलोनी, गुर्जर की थड़ी जयपुर।

मैंने अपना नाम गिरजाशंकर से बदलकर शंकर शर्मा रख लिया है। भविष्य में शंकर शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी 16, विजय नगर -1, करतारपुरा, जयपुर के नाम से जाना जाये।

I, DEVICHAND S/O VIRMAJI Solemnly Declare that I have Changed my Name from DEVICHAND MALI to DEVICHAND R/O Maheshwari colony Bakraroad Jalore Rajasthan 343025. For all Future Purposes.

I, LALIT KUMAR D S/O DEVICHAND Solemnly Declare that I have Changed my Name from LALITH KUMAR D MALI/ LALIT KUMAR D MALI to LALIT KUMAR D R/O Maheshwari colony Bakraroad Jalore Rajasthan 343025. For all Future Purposes.

I airforce No 667021T Ex JWO Surendra Singh S/O Dronacharya R/O Kulhariyon ki dhani, Bissau., Dist. Jhunjhunu (Rajasthan) that have changed my wife name from Kamla kulhari(DOB 15/3/1965) is wrong entered in service record To KAMLA DEVI(15/3/1968) vide affidavit dated 26 sep 2024 before district notary Jaipur

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, प्रताप नगर जयपुर

क्रमांक: 3991 **जाहिर आम सूचना** दिनांक:23.09.2024

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 52/48 (HIG) (एरिया 84.591 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री सत्य नारायण शर्मा पुत्र श्री छगन लाल शर्मा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 3084 दिनांक 31.10.2003 को जारी किया गया। श्री सत्य नारायण शर्मा की मृत्यु दिनांक 19.09.2007 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती चन्द्रकला शर्मा पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा प्रस्तुत सजरा रिपोर्ट के आधार पर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं, श्रीमती चन्द्रकला शर्मा पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय,

संपदा प्रबंधक, वृत्त प्रथम, राज. आ. मण्डल, जयपुर

विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिए समन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय श्रीमान A.C.J.M. साहब जी I स्थान नगर भगवान दास बनाम नानकराम वगैरह

बाबत दावा स्थाई निषेधाज्ञा वातायून 400 वाद सं. Cos 78 सन 2022

बनाम जवाहर लाल पुत्र कीमत मल जाति खत्री मकान नं. 2325 निवासी गुजर की घाटी, पानी की बगीची, जलमहल के सामने, जयपुर तहसील- जयपुर वादी ने आपके विरूद्ध दावा में लिए वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 1 माह 10 सन 2024 को दिन में 10 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे लीडर द्वारा उपसजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हो और जो इस बाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। (आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करे और उस दिन ऐसा सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसा दस्तावेजो को उल्लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाऐगा।

यह आज ता0 25 माह 09 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

न्यायालय की आज्ञा से-रीडर
न्यायालय वरि.सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.1
नगर जिला भरतपुर (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत गुडला,

पंचायत समिति करौली, जिला करौली

क्रमांक:-Spl-6 दिनांक: 27.09.2024

ई-निविदा सूचना SBM/01/2024-25

ग्राम पंचायत गुडला पंचायत समिति करौली के अधीनस्थ ग्रामों में दिनांक 31.03.2025 वित्तीय वर्ष 2024-25 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मों से निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। ई-निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय पर देखी जा सकती हैं।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गुडला
पंचायत समिति करौली, जिला करौली

कार्यालय ग्राम पंचायत गुडला,

पंचायत समिति करौली, जिला करौली

क्रमांक:-Spl-8 दिनांक: 27.09.2024

ई-निविदा सूचना 01/2024-25

ग्राम पंचायत गुडला पं.स. करौली की महात्मा गांधी नरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुसांगिक सामग्री आपूर्ति/उपकरण व्यवस्था हेतु वाणिज्यक कर विभाग में जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत एवं अनुभवली फर्मो/सप्लायर्स/इच्छुक बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/प्राधिकृत डीलर/सोल विक्रेता/विपण एजेन्टो से दिनांक 31.03.2025 तक के लिए दर अनुबन्ध करने के लिए ई-निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय पर देखी जा सकती हैं।

सरपंच
ग्राम पंचायत गुडला पं.स. करौली

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गुडला पं.स. करौली

कार्यालय पंचायत समिति गोविन्दगढ, जयपुर

Email ID:bdo.jai.gov@gmail.com, Phone No. 01423-230025

क्रमाकः-पंसगो/लेखा/ई-निविदा/2024/70 दिनांकः-27.09.2024

ई-निविदा सूचना संख्या /2024-25

पंचायत समिति गोविन्दगढ एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न योजनओं में स्वीकृत कार्यों / संकर्म हेतु ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से सक्षम श्रेणी में पंजीकृत प्रतिष्ठानों / संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र मे आनलाईन निविदाये आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in से upload/download की व देखी जा सकती है।

NIB NO- online- PFA2425A0450
UBN NO-online- PFA2425WSOB00452
NIB NO- offline- PFA2425A0442 TO PFA2425A0449
UBN NO- offline- PFA2425WSOB00444 TO PFA2425WSOB00451

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, गोविन्दगढ, जयपुर

कार्यालय नगर परिषद करौली (राज.)

क्रमांक: 2134 दिनांक: 27.09.2024

आपत्ती आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण एवं हितधारकों को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकान द्वारा पटटा नामान्तरण/हस्तान्तरण/उपविभाजन तथा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत की है।

अत: कोई भी व्यक्ति/संस्था/हितधारक उक्त पत्रावलियों /दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहे अथवा कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहे तथा किसी भी आवेदक की पत्रावली के सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहते हो, वह अन्दर अवधि 07 योग/ दिवस लिखित रूप में अपनी आपत्ति/उज्र इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है वाद गुजरने म्याद कोई आपत्ति स्वीकार/समाहित नहीं की जावेगी तथा पटटा पटटा नामान्तरण/हस्तानान्तरण/उपविभाजन तथा भवन निर्माण स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

पटटा नामान्तरण/हस्तांतरण/उपविभाजन

क्र. सं.	नाम आवेदक	खसरा न.	भू. सं.	पटटा संख्या	मूल / प्रारम्भिक पटटाधारी का नाम	साईज (वर्गगज/वर्गमीटर)
1	श्रीमति गिलासी मीना पत्नि श्री गजेन्द्र मीना	5731, 5732	24 90ए	636/ 2005	श्री राधेश्याम मीना पुत्र श्री प्रभूलाल मीना	183.33
2	श्रीमति गिलासी मीना पत्नि श्री गजेन्द्र मीना	5731	44	1558/ 2017	श्री गजेन्द्र मीना पुत्र श्री भोदूराम मीना	150.00
3	श्री जगदीश मीना पुत्र श्री बाबूलाल मीना	5560	32	LD/KRLI/2022 23/147860	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री मानसिंह	69.73
4	श्री सुगर सिंह पुत्र श्री रघुवर सिंह	5818	21	LD/KRLI/2022 22/99413	श्रीमति अनीता पत्नि श्री अजीत सिंह गुर्जर	114.83

भवन निर्माण स्वीकृति

क्र. सं.	नाम आवेदक	खसरा न.	भू. सं.	साईज (वर्गगज /वर्गमीटर)
01	श्रीमति जयमाला गोयनका पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार	4335	34	277.77
02	श्रीमति अनीता देवी पत्नि राजवीर सिंह परमार	5800	12	127.55
03	श्री महेश कुमार मीना पुत्र श्री कुंजीलाल मीना	4881	157.158	266.66

आयुक्त
नगर परिषद करौली